

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

द्वितीय अपील आई०डी०सं०२१७ / २००१ / एलआर / पाली  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

—अपीलार्थी

बनाम

पकिया पुत्र जोगाजी जाति भील निवासी हाल सोमेश्वर तहसील देसूरी जिला पाली

—प्रत्यर्थी

एकल पीठ

श्री हरिशंकर भारद्वाज, सदस्य

उपरिस्थित:

श्री रमजान मोहम्मद, उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी०

दिनांक 18 जून, 2012

निर्णय

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के द्वारा अपील सं०१२/९८ में पारित निर्णय दिनांक १३-१०-२००० के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ७६ के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

२- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सोमेश्वर स्थित आराजी खसरा संख्या हाल ५६ रकबा ०३.४७ हैक्टर सिवाय चक भूमि के जिला कलेक्टर पाली के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा ९२ के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दिनांक २६-९-९६ को आरक्षित करने हेतु जारी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील करने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक १३-१०-२००० के द्वारा अपील स्वीकार कर ली। राजस्व अपील प्राधिकारी के संदर्भित निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार ने हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

३- उक्त सम्बंध में उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

४- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी उप राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथित किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

5- उनका कथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर कतरई गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी पर खातेदार का न तो कब्जा था न ही उनके द्वारा सरकार को आराजी का लगान जमा कराया है। तहसीलदार ने इसी आधार पर आराजी को परित्यक्त (abandoned) मानते हुए उसे कब्जे राज लिया है एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण सं025 दिनांक 12-12-95 स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में सिवाय चक आराजी के जिला कलेक्टर के द्वारा धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करना पूर्णतः विधि सम्मत है जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपास्त कर भारी भूल की है।

6- उनका यह भी कथन है कि जिला कलेक्टर ने तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी की अभिशंषा पर सिवाय चक आराजी को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया है जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी ने तहसीलदार के द्वारा धारा 60 एवं 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही को विधिवत नहीं मानते हुए अपील स्वीकार की है, जो त्रुटिपूर्ण है।

7- उनका यह भी कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि आराजी राजकीय अभिलेख में सिवायक चक दर्ज थी और प्रत्यर्थी द्वारा धारा 60 एवं 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी इस कारण जब तक उक्त कार्यवाही निरस्त नहीं कर दी जाती तब तक प्रत्यर्थी/अपीलार्थी (राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष) को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त कार्यवाही को सही नहीं मानकर आदेश प्रदान करने में भारी भूल की है।

8- उनका आगे कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में विचारणीय बिन्दु यह था कि जिला कलेक्टर पाली ने जो आदेश दिनांक 26-9-96 को पारित किया था वह विधिवत है अथवा नहीं। प्रत्यर्थी/अपीलार्थी ने धारा 60-61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को चुनौती नहीं दी थी न ही उक्त कार्यवाही के तहत तस्दीक किये गए नामान्तरकरण आदेश को सक्षम न्यायालय से अपास्त कराया था। इस कारण प्रत्यर्थी/अपीलार्थी की अपील सक्षम नहीं थी क्योंकि राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज थी किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने

अपने न्यायिक विवेक व क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

9- उन्होंने अपने तर्कों को बढ़ाते हुए कथित किया कि नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रत्यर्थी के द्वारा अपील कर देने मात्र से व अपील के जैरकार होने से किसी भी प्रकार का लाभ व अनुतोष इस अपील में नहीं दिया जा सकता था क्योंकि आराजी परित्याग के आदेश व स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त नहीं हुए थे किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

10- उन्होंने इस बात पर जोर देकर कथन किया कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर थी। उनके द्वारा विलंब के जो कारण दर्शाये गये थे वे अविश्वसनीय थे जिसके आधार पर अपीलार्थी को विलम्ब का लाभ नहीं दिया जा सकता था किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अनियमित रूप से अपील को अंदर मियाद मानकर आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है।

11- उन्होंने यह भी कथित किया कि प्रत्यर्थी/अपीलार्थी ने मात्र परित्याग से बचने के उद्देश्य से वादग्रस्त आराजी को भंवरलाल दर्जी व दयाराम धोबी को देखरेख हेतु सुपुर्द की थी जबकि इस आशय का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था ना ही तहसीलदार को ऐसी कोई सूचना दी थी किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके कथन को बिना साक्ष्य सही मानकर आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। अंत में उन्होंने द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी के आलोच्य निर्णय को अपास्त करने एवं जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 26-9-96 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

12- नन्दलाल पुत्र देवाजी मीणा निवासी सोमेश्वर की ओर से उनके अभिभाषक श्री ईश्वर देवड़ा ने आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पर बहस कर उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाने का निवेदन किया। उनका कथन है कि उन्होंने पक्रिया अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी का विक्रय नहीं किया। जो कथित विक्रय पत्र है वह फर्जी है। उसके आधार पर आराजी को सिवाय चक करने की कार्यवाही भी विधि विरुद्ध है। वह आवश्यक पक्षकार है अतः उसे आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जाये।

13- अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अभिभाषक अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी पाली का आलोच्य निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत एवं नियमानुसार है अतः द्वितीय अपील खारिज की जाये।

14- उनका आगे कथन है कि जब प्रत्यर्थी/अपीलार्थी ने नामान्तरकरण सं025 की अपील जिला कलेक्टर के समक्ष कर रखी थी एवं उक्त अपील जैरकार थी तो तहसीलदार के द्वारा प्रश्नगत आराजी के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रेषित करना बदनियतिपूर्ण था एवं जिला कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-9-96 विधि विरुद्ध था। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी ने उसे अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं कारित की है।

15- उनका यह भी कथन है कि जिला कलेक्टर के द्वारा किसी सिवाय चक आराजी को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के लिए प्रयोजन विशेष का उल्लेख करना आवश्यक है किंतु जिला कलेक्टर पाली ने अपने आक्षेपित आदेश में ऐसे किसी प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया है जिसके लिए आराजी आरक्षित की गई है। इस प्रकार जिला कलेक्टर का आदेश अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी ने उसे अपास्त करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अंत में उन्होंने द्वितीय अपील खारिज करने व राजस्व अपील प्राधिकारी के आलोच्य आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया।

16- हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 26-9-96 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया। सर्वप्रथम हम आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसने वादग्रस्त आराजी का विक्रय 1980 में कर दिया है। क्रेता के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी परित्याग करने के कारण उसे कब्जे राज ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का अब कोई विधिक आधार पक्षकार बनने हेतु शेष नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

17- जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-9-96 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने उपखण्ड अधिकारी देसूरी की इस रिपोर्ट के आधार पर कि "प्रश्नगत सिवायचक आराजी खसरा नं056 रकबा 03.47 है जो आबादी से लगती हुई है रेल्वे स्टेशन सोमेशर के करीब है। अतः उक्त आराजी को आबादी विस्तार एवं सरकारी भवनों हेतु आरक्षित कर दी जाये," अपने आदेश दिनांक 26-9-96 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत राजकीय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की है। इस संबंध में प्रत्यर्थी का यह कथन कि

जिला कलेक्टर का उक्त आदेश किसी प्रयोजन विशेष का उल्लेख नहीं करता अतः अपूर्ण है, मान्य नहीं है। धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जिला कलेक्टर किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए आराजी आरक्षित करने के लिए सक्षम है एवं उक्त क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही विधिवत आदेश पारित किया है अतः प्रत्यर्थी का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है।

18— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह कथन कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर का आदेश दिनांक 26-9-96 था एवं उन्हें उसकी वैधानिकता पर ही विचार कर निर्णय किया जाना चाहिए था। तहसीलदार देसूरी के द्वारा धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश की वैधानिकता पर न तो उन्हें विचार करना था एवं नहीं उसके गुणावगुण के आधार पर जिला कलेक्टर के अपीलाधीन आदेश का विवेचन करना था, प्रकरण के अवलोकन व विवेचन के उपरांत उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार के द्वारा धारा 61 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही को न तो चुनौती दी गई एवं नहीं वह अपास्त किया गया। जब तक उक्त आदेश निरस्त नहीं कर दिया जाता प्रश्नगत आराजी सिवायचक थी एवं जिला कलेक्टर उसे धारा 92 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित करने के पूर्णतः सक्षम थे। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश को निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है।

19— अपीलार्थी का यह कथन भी युक्तियुक्त है कि नामान्तरकरण सं025 के विरुद्ध अपील कर देने मात्र से जिला कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार के द्वारा धारा 92 के अन्तर्गत आराजी आरक्षित करने हेतु प्रकरण नहीं भेजना आज्ञापक नहीं है। वस्तुतः तहसीलदार की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने प्रश्नगत आराजी के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष प्रेषित किया था। उक्त आराजी के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील लंबित होने मात्र से जिला कलेक्टर धारा 92 के अन्तर्गत आराजी आरक्षित नहीं करने के लिए बाधित नहीं थे। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा तहसीलदार के द्वारा धारा 92 के अन्तर्गत प्रकरण भेजने व जिला कलेक्टर के द्वारा इस पर कार्यवाही करने आश्चर्य प्रकट करना या उसे संदेहास्पद मानना अवांछनीय है।

20— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर जिला कलेक्टर पाली के द्वारा सिवाय चक आराजी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक

प्रयोजनार्थ आरक्षित करने में हमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा, तहसीलदार देसूरी के द्वारा धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कृत कार्यवाही जिसको चुनौती नहीं दी गई है, के आधार पर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-9-96 को अपास्त करना उचित नहीं है।

21- ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी पाली का आलोच्य निर्णय दिनांक 13-10-2000 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्तनीय है फलतः अपास्त किया जाता है तथा जिला कलेक्टर पाली का आदेश दिनांक 26-9-96 विधिसम्मत होने के कारण बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर भारद्वाज)  
सदस्य